नियम

ठेकेदारी की वर्क एवं पुलो के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा।

(i) श्रेणी प्रथम – 3.5 करोड़ रुपये से उपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
(ii) श्रेणी द्वितीय– 70 लाख से 3.5 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।
(iii) श्रेणी तृतीय – 70 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

नोटः–पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 326 दिनांक 22.01.2008 के प्रावधानानुसार, उच्च श्रेणी में निबंधित ठीकेदार अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में निविदा डालने हेतु योग्य माने जायेंगें ।

(3) उपर्युक्त कार्यो के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :–

(i) श्रेणी प्रथम – 2,00,000/– (दो लाख रुपये)।
(ii) श्रेणी द्वितीय – 1,00,000/– (एक लाख रुपये)।
(iii) श्रेणी तृतीय – 25,000/– (पचीस हजार रुपये)।
(iv) अनियोजित अभियंता श्रेणी – 25,000/– (पचीस हजार रुपये)।

महत्वपुर्ण सूचनाएँ

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करें।

(क) PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।

(ख) आवेदन–पत्र पर चिपकायी गई फोटो को किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।

(ग) आवेदन–पत्र में अंकित पता साक्ष्य के रुप में निम्नलिखित कागजात में से कोई एक राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर देना होगा :–

– आवेदक का आधार कार्ड /ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान–पत्र/बिजली बील/कंपनी एवं फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र/डीड या मेमोरेंडम जिसमे पता अंकित हो।

(घ) बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना होगा जो अवर सचिव (लेखा), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (Under Secretary (Account) W.R.D. Bihar,Patna) के पक्ष में देय होगा जो पटना में भुगतेय हो।

(च) मुख्तारनामा धारक का पैन कार्ड एवं पहचान पत्र की छाया प्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर देना होगा।

(छ) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित (प्रा0लि0) कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण–पत्र, पदाधिकारियों का नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कंपनी का मेमोरेंडम की छाया प्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर देना होगा।

(ज) कंपनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र की छाया प्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराकर देना होगा।

(झ) पार्टनरशीप फर्म में जिस सदस्य के नाम से निबंधन कराना चाहते है, उनको शेष साझेदारों को शपथ–पत्र के द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए।

नोट :– परिशिष्ट –"क" आवेदक द्वारा भरा जायेगा तथा परिशिष्ट – "ख" कार्यालय द्वारा भरा जायेगा। परिशिष्ट –"ख" में आवेदक केवल अपना हस्ताक्षर करेगें एवं फोटो चिपकाकर अभिप्रमाणित कराकर देगें।

Scanned with ACE Scanner

<u>महत्वपूर्ण सूचनाऐं</u>

निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :–

(i) श्रेणी प्रथम – 2,00,000/– (दो लाख रुपये)।

(ii) श्रेणी द्वितीय – 1,00,000/– (एक लाख रुपये)।

(iii) श्रेणी तृतीय – 25,000/– (पचीस हजार रुपये)।

(iv) अनियोजित अभियंता श्रेणी –25000/–(पचीस हजार रुपये)।

बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना होगा जो अवर सचिव (लेखा), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (Under Secretary (Account) W.R.D. Bihar,Patna) के पक्ष में देय होगा जो पटना में भुगतेय हो।

आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेखों को संलग्न किया जाएगा :–

1.पहचान पत्र ।
पहचान पत्र साक्ष्य के रूप में (क) आधार कार्ड (ख) पासपोर्ट (ग) पैन कार्ड (घ) ड्राईविंग लाईसेंस
(ड़) मतदाता पहचान पत्र (राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित) में से कोई एक मान्य होगा ।

2.पता साक्ष्य ।
पता साक्ष्य के रूप में (क) आधार कार्ड (ख) पासपोर्ट (ग) पैन कार्ड (घ) ड्राईविंग लाईसेंस
(ड़) मतदाता पहचान पत्र (राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित) में से कोई एक मान्य होगा । साथ
हीं कम्पनी अथवा फर्म के निबंधन हेतु उनके निगमीकरण प्रमाण–पत्र /निबंधन प्रमाण पत्र /डीड
/मेमोरेंडम इत्यादि में अंकित पता को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा ।

3. शपथ पत्र / Board Resolution /अन्य साझेदारों के द्वारा दिये गये सहमति पत्र के आधार पर
मुख्तारनामा धारक के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी ।

4.आवेदक के हस्ताक्षर का मिलान से उनके पैन कार्ड पर अंकित हस्ताक्षर से किया जाएगा । पैन कार्ड
के अतिरिक्त बैंक द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज को भी आवेदक के हस्ताक्षर से मिलान के
योग्य माना जाएगा ।

5.एकल प्रोपराईटरशीप की स्थिति में आवेदक के पता साक्ष्य में अंकित पता मान्य होगा । साथ हीं एकल
प्रोपराईटरशीप का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

6.आवेदन में चिपकायी गई फोटो राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होगा ।

Scanned with ACE Scanner